संख्या- 35/ 864 /अड्तीस-9-14-02(बजट)/2013

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, गौतमबद्धनगर, खीरी, उन्नाव लखनऊ,
हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, प्रतापगढ, कौशाम्बी, बहराइच, वाराणसी ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 18 नवम्बर , 2014**

विषय- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मा0 विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में विकास कार्य कराने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 7560000000.00 (रूपये सात अरब छप्पन करोड मात्र) में से लेखानुदान की सीमा तक शासनादेश संख्या-511/अड्तीस-9-2014-02(बजट)/2013, दिनांक-13.06.2014 व शासनादेश संख्या-557/अड्तीस-9-2014-02(बजट)/2013, दिनांक-01.07.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2,45,00,00,000.00 (रूपये दो अरब पैतालिस करोड मात्र) तथा शासनादेश संख्या-637/ अड्तीस-9-2014-02(बजट)/2013, दिनांक-31.07.2014 द्वारा स्वीकृति धनराशि रू0 रू0 4,91,00,00,000.00 (रूपये चार अरब इक्यानबे करोड मात्र) को घटाते हुये अवशेष धनराशि अर्थात रू0 20,00,00,000.00 (रूपये बीस करोड मात्र) में से मा0 विधान सभा के सदस्यों हेतु संलग्न सूची के अनुसार रू0 18,50,00,000.00 (रूपये अठारह करोड पचास लाख मात्र) की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने सम्बन्धित मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- यदि किसी विधान सभा/विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी और इसकी सूचना शासन को तत्काल दी जायेगी।

(4)- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों व समय-समय पर जारी शासनादेशों के दृष्टिगत उक्त निर्गत धनराशि के आहरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं शासन से किसी परामर्श की आवश्यकता होगी, तो तत्काल प्राप्त किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

संख्या- 35/ 864 (1) /अड्तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
14- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
15- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

http://sriasamadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 35/ 864 /अड्तीस-9-14-02(बजट)/2013, दिनांक- 18 नवम्बर, 2014 का संलग्नक विधान सभा के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को आवंटित अवशेष धनराशि की सूची

क्र0सं0	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
1	3. सहारनपुर नगर	सहारनपुर	**100.00**
2.	8. कैराना	शामली	**150.00**
3	22. बिजनौर	बिजनौर	**150.00**
4	26 ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	**150.00**
5	61. नोएडा	गौतमबुद्धनगर	**150.00**
6	138. निघासन	खीरी	**150.00**
7	165. उन्नाव	उन्नाव	**50.00**
8	173. लखनऊ पूर्व	लखनऊ	**150.00**
9	228. हमीरपुर	हमीरपुर	**150.00**
10	231. चरखारी	महोबा	**150.00**
11	240. फतेहपुर	फतेहपुर	**50.00**
12	244. रामपुर खास	प्रतापगढ	**50.00**
	247. विश्वनाथगंज	प्रतापगढ	**50.00**
13	251. सिराथू	कौशाम्बी	**100.00**
14	282. बलहा	बहराइच	**150.00**
15	387. रोहनिया	वाराणसी	**100.00**
योग-			**1850.00**

(कुल रूपये अठारह करोड पचास लाख मात्र)

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in